न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
04 / 2020	21.01.2020	29.01.2021

उनवान

1. अतर सिंह पुत्र हरदयाल जाति चमार निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र:– अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29.01.2021

उपस्थिति :–

1– श्री धर्मवीर बडसीवाल, वकील प्रार्थी

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 1947 रकबा 0. 91 है0, व 1953 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है। मिन वादी का गांव व घर में बोलता नाम पप्पू पुत्र हरदयाल है जबकि सही नाम अतर सिंह पुत्र हरदयाल है। मिन वादी का जमाबन्दी में नाम दर्ज करने हुये पप्पू पि. हरदान चमार दर्ज किया गया है जबकि मिन वादी का अन्य समस्त दस्तावेजात में अतर सिंह पुत्र हरदयाल का [illegible] चला आ रहा है। मिन वादी का सही नाम अतर सिंह जो आधार कार्ड, स्कूल [illegible] छात्र प्रवेश लेख प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, बैंक पास बुक, [illegible] राशन काड आदि में सही नाम अतर सिंह का अंकन हो रहा है। मिन वादी का घर में पप्पू नाम से बोला जाता था जिस कारण यही नाम जमाबन्दी में अंकन [illegible] गया अब मिन वादी को गलत नाम के रहने से काफी परेशानी उठानी पड रही है इसलिए नाम शुद्धी करण कराया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रार्थी के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि मिन वादी का नाम आराजी ख0 नं0 1947 रकबा 0.91 है0, 1953 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर में सं0 2071–74 में जो सहवन से पप्पू पि. हरदयाल नाम का अंकन हो रहा है उसे दूरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर अतर सिंह पुत्र हरदयाल किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए गई प0ह0 ततारपुर की मौका पर्चा दिनांक 28.01.2021 की जांच रिपोर्ट के अनूसार जांच रिपोर्ट में हाल जमा0 संवत 2071–74 के खाता संख्या 618 व ख0 नं0 1947/0.91, 1953/0.63 किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 में रोहिताश कमर्णसिंह पप्पू पि. हरदार चमार सा0 देह खातेदार हि0 रोहिताश पीएनबी शाखा ततारपुर मु0वि0क0 दर्ज है। पप्पू पुत्र हरदार व अतरसिंह पुत्र हरदान जाति चमार ग्राम ततारपुर में एक ही व्यक्ति होना पाया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2071–74, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, छात्र प्रवेश लेख/स्थानान्तकरण प्रमाण पत्र पहचान पत्र, राशन कार्ड, अन्य दस्तावेज पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

प0ह0 ततारपुर की मौका पर्चा दिनांक 28.01.2021 कि जॉच रिपोर्ट एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थी डिक्री किया जाता है एवं मिन वादी का नाम आराजी ख0 नं0 1947 रकबा 0.91 है0, 1953 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर में सं0 2071–74 में जो सहवन से पप्पू पि. हरदयाल नाम का अंकन हो रहा है उसे दूरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर अतर सिंह पुत्र हरदयाल दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुरूप हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:45 IST
Reason: SelfAttested

29.1.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0च

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0